

राजस्व अपील संख्या 536 / 2022

अनवान

धन्नाराम वगैराह बनाम राज्य

दिनांक 04-10-2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला जोधपुर के द्वारा प्रकरण संख्या प्र0ग0स0/2021/315 निर्णय दिनांक 03.12.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांत अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.12.2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांत अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांत की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 03.12.2021 के क्रम में प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, लोहावट उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जाँच करे और मौका नक्शा, मौका फर्द तैयार कर उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, लोहावट उक्तानुसार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट/मौका नक्शा तथा पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात प्रकरण का निस्तारण करें। यदि आवश्यक हो तो पुनः निर्णय पारित करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर